

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 09 / 2025


दिनांक : 14.01.2025

श्रीमती नीतू रानी (RJ01086), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-02, किशनगढ़बास (अलवर) को दिनांक 15.01.2025 से 29.01.2025 तक 15 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती रानी की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-01, किशनगढ़बास (अलवर) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-02, किशनगढ़बास (अलवर) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से,



14/01/25
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/74/2016/ 419

दिनांक : 14.01.2025

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 1128 दिनांक 06.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती नीतू रानी (RJ01086), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-02, किशनगढ़बास (अलवर)।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-02, किशनगढ़बास (अलवर)।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-01, किशनगढ़बास (अलवर)।


14/1/25
सहायक रजिस्ट्रार